न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

सी0सी0ए0 वाद संख्या– 07/2018

राज्य बनाम मनीष उर्फ चिक्कु

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की कार्रवाई के बा टिप्पणी तारीख– 3.
19.09.2018	पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 3578/गो0, दिनांक 05.09.2018 के द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी मनीष उर्फ चिक्कु, पे0 अरूण सिंह, साकिन महद्दीपुर थाना–पसराहा, जिला–खगड़िया को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा–3 के तहत निरूद्ध करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उनके विरूद्ध कुल 06 (छः) अपराधिक मुकदमें उल्लेखित है, जो निम्नांकित है :– 1. पसराहा थाना कांड संख्या–45/2014 दिनांक 15.05.215 धारा 341/323/386/448/504/34 भा0द0वि0। 2. पसराहा थाना कांड संख्या–115/2015 दिनांक 17.08.2015 धारा–354/506/509 भा0द0वि0। 3. पसराहा कांड संख्या 119/2015, दिनांक 26.08.2015 धारा –302/34 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम। 4. पसराहा कांड संख्या 58/2016, दिनांक 27.04.2016 धारा–341/342/323/379/385/307/504/34 भा0द0वि0। 5.. पसराहा कांड संख्या 118/2016, दिनांक 15.092016 धारा–399/402/353/307/ भा0द0वि0 एवं 25 (1–बी)ए/26/27/35 शस्त्र अधिनियम। 6. पसराहा कांड संख्या 103/2017, दिनांक 17.08.2017 धारा 386/34 भा0द0वि0। ये भारतीय दण्ड विधान एवं आर्म्स एक्ट के धाराओं के तहत आरोपित है। ये जबसे जेल से छुटकर आए है तब से अपने पुराने काण्ड के गवाहों को तंग तवाह कर रहें है जिससे इलाके का माहौल भयपूर्ण है। अभियुक्त स्वंय उपस्थित हुए और अपना कारण–पृच्छा भी प्रस्तुत किये। अपराधकर्मी के द्वारा समर्पित कारण–पुच्छा का अवलोकन किया गया, कारण–पृच्छा स्वीकार्य नहीं है। राज्य की ओर से अपर विशेष लोक उपस्थित हुए तथा अपना पक्ष रखते हुए अपराधकर्मी को निरूद्ध करना नितान्त आवश्यक बताया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी के माध्यम से तामिला प्रतिवेदन प्राप्त मनीष उर्फ चिक्कु आज न्यायालय में उपस्थित हुए है। दुर्गापूजा /मुहर्रम/दीपावली/छठ ऐसे त्यौहार के मद्देनजर इलाके में लोक परिशांति कायम करने हेतु आदेश पारित करना नितान्त आवश्यक हो गया है। प्रस्तुत साक्ष्यों एवं अभिलेख के परिशीलन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियुक्त का अपराधिक इतिहास	

सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3.

है एवं दुर्गापूजा /मुहर्रम /दीपावली /छठ ऐसे त्योहार दौरान इनके द्वारा लोक परिशांति को भंग अथवा प्रभावित किया जा सकता है।

अतः मैं अनिरूद्ध कुमार, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया आदेश देता हूँ कि अपराधकर्मी मनीष उर्फ चिक्कु दिनांक 20.09.2018 से लेकर दिनांक 16.11.2018 तक प्रतिदिन 10:00 बजे मोरकाही थाना परिसर में थाना प्रभारी, मोरकाही के समक्ष सदेह उपस्थित होगें। आदेश से थानाध्यक्ष पसराहा/मोरकाही को तथा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया /अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी/खगड़िया को संसूचित कर दें।

लेखापित एवं संशोधित

19/9/18

जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया

जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया

ज्ञापांक 1565 / विधि दिनांक 20-9-18
प्रतिलिपि :- मनीष उर्फ चिक्कू पिता अजय सिंह ग्राम- मधुरीपुर थाना- पसराहा जिला खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, खगड़िया / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी / खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- थानाध्यक्ष पसराहा / मोरकाही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०
प्रभारी पदाधिकारी
विधि शाखा, खगड़िया।
19/9/18